


५

मा/क्षा०/भत्ता०/२०१८/०३३५

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल <sup>मूलि</sup> वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा  
जिला रीवा म०प्र०



ललित सिंह तनय समयलाल सिंह उम्र 32 साल पेशा खेती निवासी ग्राम  
ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० ..... आवेदक

बनाम

प्यारेलाल सिंह तनय रामेश्वर सिंह उम्र करीब 62 साल पेशा खेती निरा  
ग्राम ऐरा तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० .... अनावेदक

अधिक० भू मूल्यांकन  
द्वारा प्रदा० (२३-२-१८)

मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति का नाम  
मूल्यांकन करने वाले व्यक्ति का नाम

निगरानी विरुद्ध सीमांकन आदेश  
राजस्व निरीक्षक बृत्त मौहारी कटरा  
तह० अमरपाटन जिला सतना  
दिनांक 20.6.2017 जो सीमांकन  
प्रक० क० 52/अ१२/१६-१७ मे  
पारित किया जाकर अनावेदक द्वारा  
कराये गये सीमांकन की पुष्टि की  
गई

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र०  
भू रा० संहिता 1959 ई०

मान्यवर,

निगरानी अन्य के अतिरिक्त निम्न लिखित आधारों पर प्रस्तुत  
है:-

- 1— यह कि राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित प्रश्नाधीन सीमांकन  
पुष्टिकरण आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किए जाने  
योग्य है।

(4)

# राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ॥२॥ फ़िल्म ॥१४॥ १३३५ जिला स्थान

विरुद्ध प्रोत्साहन संघ

2

3



१५-१-१९

1. आवेदक की ओर से श्री... महेन्द्र सिंह..... अधिवक्ता द्वारा  
यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मौद्री तह सील. भू-राजस्व के  
प्रकरण क्रमांक ५२। ३०। १२। १६। (२)..... में पारित  
आदेश दिनांक २०-०६-२०१७ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी  
है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये  
संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50  
सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण  
कलेक्टर....स्थान..... के न्यायालय को अंतरित किया  
जाता है। उभयपक्ष दिनांक २५-३-१९ को  
कलेक्टर....स्थान..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु  
उपस्थित हो।

\

—

सदस्य

